

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या: 27-विनियम एवं औ०सं०/पाकालि/11-7-विनियम/88

दिनांक: 06 जून, 2011

कार्यालय ज्ञाप

पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद की "उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद लिपिकीय अधिष्ठान (मुख्य अभियन्ता के कार्यालय एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालय) विनियमावली-1970 जो कि सम्प्रति उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड में प्रभावी है, के विनियम-9: शैक्षिक अर्हतायें के अन्तर्गत आशुलिपिक श्रेणी-3 एवं कार्यालय सहायक(श्रेणी-3) के पदों हेतु वर्तमान में निम्न स्तम्भ-1 में इंगित निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं में निदेशक मण्डल के कार्यान्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में आंशिक संशोधन कर स्तम्भ-2 में इंगित अर्हताओं से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

स्तम्भ-1 वर्तमान अर्हतायें	स्तम्भ-2 प्रतिस्थापित अर्हतायें
1-आशुलिपिक (श्रेणी-3) हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा परिषद, उ०प्र०, की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा मानी गयी समतुल्य अन्य कोई परीक्षा। 2- कार्यालय सहायक (श्रेणी-3) (कारपोरेशन का कार्यालय ज्ञाप संख्या-40- विनियम एवं औस/पाकालि/ 2010-7-विनियम /88, दि० 11.05.2010) (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि (2) टाइपराइटर एवं कम्प्यूटर पर हिन्दी/अंग्रेजी टंकण में कमशः 25/30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति सहित कम्प्यूटर के क्षेत्र में वर्ड एवं एक्सेल की जानकारी।	1 आशुलिपिक (श्रेणी-3) (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। (2) DOEACC का "O" लेवल प्रमाण पत्र। (3) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट की गति तथा अंग्रेजी टंकण को अधिमान्यता। (4) संगत विनियमावली में इंगित अन्य अर्हतायें यथावत् रहेगीं। 2- कार्यालय सहायक (श्रेणी-3) (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि (2) DOEACC का "O" लेवल प्रमाण पत्र। (3) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट की गति तथा अंग्रेजी टंकण को अधिमान्यता।

2. संगत विनियमावली के अन्य प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।



(नवनीत सहगल)

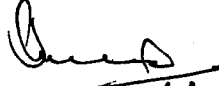
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

.....2/-

संख्या: 27-(1)विनियम एवं औ0सं0/पाकालि/11-तद्दिनांक :

प्रतिलिपि कृपया निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
- 2- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, के सलाहकार, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- निदेशक (प्रशासन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा एवं केस्को, कानपुर।
- 8- मुख्य अभियन्ता एवं अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।
- 9- कार्यकारी अपर सचिव-प्रथम/अपर सचिव (द्वितीय/तृतीय)/मुख्यमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) /सलाहकार (औस)/काविनी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 10- अपर सचिव (अराजपत्रित) को उनकी पत्रावली संख्या-10-एन.जी.ए./2011 हेतु।
- 11- कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- ✓ 12- अधिशासी अभियन्ता (वेब साइट), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट पर लोड किये जाने हेतु।



(जावेद अहमद) 6/6/11

अनुसचिव (विनियम)